



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
67/24	144 CPC	आंचोली	छबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
गिरजा शर्मा	बनाम	धन्नालाल	
वकील :-	श्री अब्दुल हसीब आलम	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ
08.08.2024	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 CPC विरुद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्घे सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 4.9.24 को पेश हो।</p> <p></p>		
4.9.24	<p>पत्रावली पेशा हुई। वकील प्रार्थी उपर/ अप्रार्थीगण की ओर से श्री टीकमचन्द डोडरिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकावतगण पेश किया जो शाह दि. क्रि. गण। बहस वकील उपप्रखण्ड द्वारा लुकी गई। पत्रावली एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के बर्णित प्र. न. 183/12 का पूर्व के इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02.07.2024 को किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 CPC पेश किया गया है। जो चलने प्रोग्र नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्रेन्टेनेवल नहीं होने स्कारिज किया जाता है। पत्रावली पेशाल सुनार होकर वाद वाकिल वकील के दाखिल दफ्तर हो।</p> <p></p>		